

कार्यालय प्राचार्य इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर

क्रमांक/इम/छात्र शाखा/2022/ /2642

सागर, दिनांक: 14/11/2022

सूचना

संस्था के समस्त लोक सेवकों/छात्र/छात्राओं/अभिभावक को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सागर के पत्र क्रमांक/8761/रीडर/जि.द./2022 सागर, दिनांक 13/10/2022 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले समस्त दो पहिया वाहन चालको को आते-जाते समय हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। हेलमेट धारण न करने वाले लोक सेवको/छात्र-छात्राओं/अभिभावको का महाविद्यालय में प्रवेश निरुद्ध रहेगा।

अतः पत्र (कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सागर) का उल्लंघन करने वाले समस्त लोक सेवकों/छात्र-छात्राओं/अभिभावको के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

नोट :- कृप्या अपने हेलमेट की सुरक्षा स्वयं करे।

प्राचार्य

इं.गां. इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

पृ० क्रमांक/इम/छात्र शाखा/2021/

सागर, दिनांक 11/11/2022

प्रतिलिपि:-1 प्रभारी अधिकारी/विभागाध्यक्ष CE\ME\EC\EE\IT की ओर सूचनार्थ।

2. बेबसाईट प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी सुरक्षा की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी बालक छात्रावास/कन्या छात्रावास की ओर सूचनार्थ।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।



sd
प्राचार्य

इं.गां. इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)